न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 58/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 पारसमल पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल नि0 गुड़ा श्यामा, तहसील सोजत जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक :— 06/09/2023

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गुड़ा चुतरा, प0ह0 गुड़ा कलां तह0 सोजत के खसरा संख्या 334 रकबा 1.5200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में पंहुचने के लिए अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज बारामी दोयम भूमि के खसरा नंबर 321/456 रकबा 15.7900 हैक्टर भूमि में से नया मार्ग अपनी खातेदारी खसरा नंबर 334 में जाने हेतु आशय रखते है। इसलिए प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' के तहत आवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रेकर्ड अनुसार नजरी नक्शा परिशिष्ट ''क'' पेश हैं, जो प्रार्थना पत्र का भाग है। संलग्न नजरी नक्शा में खसरा नंबर 321/456 की भूमि जो कि काबिल काश्त भूमि पुरानी पड़त दर्ज है, जिसे लाल रंग से दर्शाया है तथा उक्त रास्ता को मार्क अ, ब, स, द दर्शाया गया है, जो रास्ता 20 फुट चौड़ा है तथा प्रार्थी के खसरा नंबर 334 को आसमानी रंग से दर्शाया है। प्रार्थी द्वारा हमेशा से ही अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु बड़ा गुड़ा से गुड़ा श्यामा जाने वाले आम रास्ते की भूमि खसरा नंबर 32 में से होकर खसरा नंबर 321/456 में स्थित रास्ते का उपयोग उपभोग करता आया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी की भूमि ही प्रार्थी की भूमि के चिपते है। जो एकमात्र रास्ते हेतु नजदीक है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की डी.एल.सी. राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम गुड़ा चुतरा के खसरा संख्या 334 रकबा 1.5200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में पंहुचने के लिए अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज बारामी दोयम भूमि के खसरा नंबर 321/456 रकबा 15.7900 हैक्टर भूमि में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे परिशिष्ट ''क'' में अ, ब, स, द से दर्शित 20 फुट चौड़ा रास्ता आने जाने हेतु दिलाया जाने एवं उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 गुड़ा कलां द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि ए से बी रास्ता पूर्व में प्रस्तावित है। खसरा संख्या 322, 324, 325, 326, 327, 328, 330 खातेदारी भूमि है। खसरा संख्या 323 गै.मु. गुआ व खसरा नंबर 337 व 343 गै.मु. वाला किस्म है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी में है। एफई व बी के दूरी व ए से बी के दूरी लगभग बराबर है। एफ व ई स्थान पर अतिक्रमण है, रिपोर्ट पेश की। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारो और मौतबिरानो को पढकर सुनाई गई। उक्त खसरो में आवागमन हेतु नजदीकी खसरा नंबर 321/456 रकबा 15.7900 है0 में से (450×7 = 0.3150 है0) भूमि का प्रस्तावित रास्ता बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 196466/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (196466/– रू0 × 2 × 0.3150 है0 = 123774/– रूपये) बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 321/456 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत गुड़ा कलां की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जांच कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ए से बी रास्ता पूर्व में प्रस्तावित है। खसरा संख्या 322, 324, 325, 326, 327, 328, 330 खातेदारी भूमि है। खसरा संख्या 323 गै.मु. गुआ व खसरा नंबर 337 व 343 गै.मु. वाला किस्म है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी में है। एफ ई व बी के दूरी व ए से बी के दूरी लगभग बराबर है। एफ व ई स्थान पर अतिक्रमण है, रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 334 रकबा 1.5200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में पंहुचने के लिए अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज बारामी दोयम भूमि के खसरा नंबर 321/456 रकबा 15.7900 हैक्टर भूमि में से नया मार्ग दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम की जावे। प्रार्थी के पास अन्य कोई रेकर्डेड मार्ग नही है। जिससे प्रार्थी को कई बार कठीनाई का सामना करना पडता है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने जाहिर किया कि विधि अनुरूप निर्णय किया जाये तो कोई आपति नही है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 गुड़ा कलां, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी के नाम दर्ज बारामी दोयम भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, तथा निकटतम मार्ग भी खसरा नम्बर 321/456 में से होकर ही पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गुड़ा चुतरा, प0ह0 गुड़ा कलां तह0 सोजत के खसरा संख्या 334 रकबा 1.5200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में पंहुचने के लिए अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज बारामी दोयम भूमि के खसरा नंबर 321/456 रकबा 15.7900 हैक्टर कृषि भूमि में से (196466/– रू0 × 2 × 0.1800 है0 = 70728/– रूपये) प्रतिकर देय राशि का भुगतान तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 06/09/2023 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)